

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक— 1436/14-1, (कैम्प चन्दौसी) दिनांक, 07, अप्रैल 2017

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय :- जनपद सम्भल में मेरठ-बदायूं मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (राज्य मार्ग सं०-18) किमी० 142.600 से 162.000 तक के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रपोजल नम्बर-एफ०पी०/यू०पी०/रोड/23576/2017 दिनांक-23.01.2017।
महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद सम्भल में मेरठ-बदायूं मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (राज्य मार्ग सं०-18) किमी० 142.600 से 162.000 तक के सम्बन्ध में याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की चार स्पाइरल वाइडिंग प्रतियां व अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पार्ट-2 की ऑनलाईन प्रविष्टि व के०एम०एल० फाईल की सीडी सहित, संस्तुति के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अपने स्तर से प्रकरण को नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक भूमि हस्तान्तरण को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एम० पी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या= / उक्तादिनांकित।

प्रतिलिपि— नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक भूमि हस्तान्तरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सम्भल को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध से प्रेषित कि आप तत्काल इस कार्यालय से उपरोक्त प्रस्ताव की चार प्रतियां मय सीडी के प्राप्त कर वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद के कार्यालय को उपलब्ध करायें तथा व्यक्तिगत रूप से वन संरक्षक महोदय से सम्पर्क कर इसे उच्च स्तर को प्रेषित करायें। दूरभाष पर आपके कार्यालय के अवर अभियन्ता को अवगत करा दिया गया है।

(एम० पी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।